



279

16
5710

नवीन प्र. 4374/2017

न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

III/नगरानी/मुर्देना/श्र.सं/2017/4374

प्र.क. /2017 निगरानी

श्री ए.ए.पी. शास्त्री मुर्देना
द्वारा आज दि. 13-11-17 को
प्रस्तुत

बलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

फं.दि. 20-11-17

Noted
13-11-17
20-11-17

(Signature)
13-11-17

1. रामाधार सिंह
2. रामवीर सिंह
3. अशोक सिंह
4. राजेश सिंह
5. मुस0 रामवेटी वेवा हरनाम सिंह पुत्री कुवंरसिंह ठाकुर निवासीगण ग्राम मानधाता का पुरा मौजा रजौदा तहसील पोरसा जिला मुर्देना म.प्र.

हरनाम सिंह ठाकुर

---आवेदक

बनाम

चन्द्रावली वेवा अमर सिंह पुत्री रघुवर सिंह ठाकुर निवासी ग्राम बहादुर पुरा तहसील रौन जिला भिण्ड म0प्र0

---अनावेदिका

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

न्यायालय अनु0वि0अधि0 अम्बाह कैम्प पोरसा जिला मुर्देना के

प्रक. 126/2016-17/अपील में पारित आदेश दिनांक 08.11.

2017 के विरुद्ध निगरानी समयावधि में प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :-

निगरानी के संक्षेप में तथ्य :-

3

1 यह कि, प्रकरण की वास्तविक


स्थिति इस प्रकार है कि, आवेदकगण ने अपने स्वत्व स्वामित्व एवं

का मुर्देना
INDIA
RUPEE

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/4374

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	